14.05.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जरखाड़ा मे पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी ली गयी। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्ट्री नोटिस पेश करने हेतु करीब एक वर्ष का समय हो गया है इस दौरान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु कोई तलबाना नोटिस पेश नही किया न ही प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे स्थगन आदेश की अवहेलना होना प्रतीत होती हो ना ही प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से तनाजा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना एवं वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई तनाजा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को आगे चलाने मे कोई दिलचस्पी नही लेने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को चलाया जाना उचित नही समझते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जरखाड़ा मे मजमे आम मे सुनाया गया।

14-5-18

सरपंच
ग्राम पंचायत जटवाड़ा
पं. स. बस्सी (जयपुर)